

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ ( राजस्थान )  
 ( पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल निम्बाहेडा )  
 द्वारा अर्न्तगत -136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट प्र.स. 887 / 2025 दायर दिनांक 9 / 10 / 2025

निर्णय दिनांक 2/11/25  
**ग्रामीण सेवा शिविर-2025**

रिपोर्ट

क.स.	नाम ग्राम	खाता नम्बर	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	परसाखेडा	60	महोदय जी निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना में बड़ौदा राज0 क्षे0 ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मुल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है। वर्तमान प्रविष्टी 1. नन्दराम पिता छोगा जाट सा. देह खातेदार राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा पाण्डोली स्टेशन	1. नन्दराम पिता छोगा जाट सा. देह खातेदार राहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पाण्डोली स्टेशन	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश तहसीलदार कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू. रा. अधि.1956 की धारा 136 के अन्तर्गत अनुसार राजस्व रिकार्ड में ग्राम परसाखेडा पटवार मण्डल केसरखेडी के खाता संख्या 60 में वर्तमान प्रविष्टी बड़ौदा राज0क्षे0 ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जानें का आदेश दिया जाता है।
			हरस्ताक्षर पटवारी मय मोहर	हरस्ताक्षर गिरदावर मोहर	पदेन सहायक कलक्टर कपासन

परवारा कपासन  
 परवारा कपासन  
 तहसील-चित्तौड़गढ़  
 जिला-चित्तौड़गढ़

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन

सहायक कलक्टर  
 (उपखण्ड अधिकारी)  
 कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

